



# पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 01/2017 प0पा0 ..... 81 (10) आ0

दिनांक - ..... 17/03/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0  
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,  
बिहार, पटना।

विषयः-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक शीर्ष-2403- पशुपालन -001- निदेशन तथा प्रशासन  
-0001- मुख्यालय स्थापना, मांग संख्या-02, विपत्र कोड-02-2403000010001 के अन्तर्गत  
व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय को वहन करने हेतु आवंटनादेश संख्या- 03 (नि0) आ0 दिनांक- 24.05.2017, आवंटनादेश संख्या- 33 (नि0) आ0 दिनांक- 19.09.2017 एवं आवंटनादेश संख्या- 52 (नि0) आ0 दिनांक- 05.01.2018 के क्रम में कुल ₹ 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विस्तृत शीर्ष	विषय कोड एवं विषय शीर्ष	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	0001.01 01 - वेतन	32004500	0	32004500
2		0001.01 03 - जीवन यापन भत्ता	26279000	0	26279000
3		0001.01 04 - मकान किराया भत्ता	3564000	0	3564000
4		0001.01 05 - परिवहन भत्ता	617000	0	617000
5		0001.01 06 - चिकित्सा भत्ता	197000	0	197000
6		0001.01 07 - अन्य भत्ता	27000	0	27000
योग - 02-2403.00.001.0001.01- वेतन			62688500	0	62688500
7	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0001.06 01 -चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1300000	0	1300000
8	11-यात्रा व्यय	0001.11 01 - यात्रा व्यय	250000	0	250000
9	13-कार्यालय व्यय	0001.13 01 - कार्यालय व्यय	1000000	0	1000000
10		0001.13 02-वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	500000	0	500000
11		0001.13 03 -दूरभाष	200000	0	200000
12		0001.13 05 -विधि प्रभार	150000	0	150000
13		0001.13 06 -वर्दी / पोशाक	180000	0	180000
योग - 02-2403.00.001.0001.13- कार्यालय व्यय			2030000	0	2030000
14	20-प्रशिक्षण व्यय	0001.20 03 - प्रशिक्षण व्यय	50000	0	50000
15	28-व्यावसायिक सेवार्य	0001.28.02-सविदा सेवार्य	562000	80000	642000
योग - 02-2403.00.001.0003-मुख्यालय स्थापना			66880500	80000	66960500
₹ 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) मात्र					

Abse

Q

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं० -2 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष-2403-पशुपालन -001- निदेशन तथा प्रशासन -0001- मुख्यालय स्थापना, विपत्र कोड-02-2403000010001 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन तृतीय अनुपूरक आगणन से आच्छादित है।

4- यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5- वित्त विभाग के पत्रांक 2725 वि० (2) दिनांक 15.04.2000 के समस्त प्रावधानों का भली-भाँति अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित अर्हता/योग्यता रखने वाले पशु चिकित्सकों को ही गैर व्यवसायिक भत्ता (एन० पी० ए०) का भुगतान किया जाय। उक्त पत्र के समस्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए बगैर गैर व्यवसायिक भत्ता (एन० पी० ए०) का भुगतान करने पर गलत भुगतान की स्थिति में इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

6- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक- 31.03.2017 एवं 3002/वि० दिनांक- 26.04.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक विषयशीर्ष की राशि दूसरी विषयशीर्ष (वेतन-भत्ते को छोड़कर) में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी० भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दे।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन ससमय मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 01 /2017 प०पा० ..... 81 (17/03) आ०/

पटना-15, दिनांक- 17/03/2018

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी० ए०- 57 - 96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 01 /2017 प०पा० ..... 81 (17/03) आ०/

पटना-15, दिनांक- 17/03/2018

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 01 /2017 प0पा0 ..... 81 (मि) 3110 आ0/ पटना-15, दिनांक-17/03/2018

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 01 /2017 प0पा0 ..... 81 (मि) 3110 पटना-15, दिनांक-17/03/2018

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 01 /2017 प0पा0 ..... 81 (मि) 3110 पटना-15, दिनांक-17/03/2018

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा- 8 एवं लेखा शाखा-9 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ निदेशक, पशुपालन कोषांग (सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु)/ आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अनुलग्नक की प्रति के साथ (विभागीय वेवसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।